मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन

प्रधान कार्यालय – ऑफिस काम्पलेक्स, ब्लॉक "ए" गौतम नगर, भोपाल

फोन नं - 0755-2600507, 2600287, 2600510 फेक्स नं 0755-2600384

क्रमांक / मप्रवेलॉका / JVS / वाणिज्य–04 / 2022-23 / 6537 भोपाल, दिनांक 03 MAR 2022

संयुक्त भागीदारी योजना (JVS) 2022-23

(1) प्रस्तावना :–

शासन की उपार्जन एजेंसियो द्वारा रबी विपणन वर्ष 2022–23 में उपार्जित विभिन्न स्कंध, बारदाना एवं अन्य स्कंध की भण्डारण व्यवस्था हेतु म.प्र.वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन (MPWLC) द्वारा निजी अथवा सहकारी क्षेत्र अथवा अन्य संस्थाओ के गोदाम संचालकों के साथ संयुक्त भागीदारी योजना अन्तर्गत निर्धारित शर्तों एवं दायित्वों के अधीन गोदामों का संचालन किया जाता है। MPWLC संयुक्त भागीदारी योजना के तहत द्विपक्षीय अनुबंध की शर्तों एवं दायित्वों के तहत निगम के ऑनलाईन पोर्टल पर पंजीकृत गोदाम संचालकों से प्रस्ताव आमंत्रित करता है।

गोदामो के ऑनलाईन पंजीयन एवं JV योजनान्तर्गत ऑफर करने की प्रकिया तथा प्रावधानो का अवलोकन निगम की वेबसाईट www.mpwarehousing.com एवं ऑनलाइन पोर्टल www.mpsc.mp.nic.in/Warehouse/JointVentureScheme/JointVentureSchemeApp.aspx पर किया जा सकता है ।

(2) संयुक्त भागीदारी योजना का स्वरूप एवं विस्तार :–

2.1 योजना का स्वरूप :–

i संयुक्त भागीदारी योजना अन्तर्गत निर्धारित शर्तों एवं दायित्वों के अधीन गोदाम संचालको द्वारा **MPWLC** के साथ द्विपक्षीय अनुबंध निष्पादित कर MPWLC के निर्देशानुसार कार्य संचालन एवं भण्डारित स्कंध का वैज्ञानिक रख–रखाव करेगा ।

ii संयुक्त भागीदारी योजनान्तर्गत अनुबंधित गोदामों में उपार्जित गेहूँ, धान, चावल, दलहन तिलहन तथा नमक, शक्कर, बारदाना गठान / बंडल के साथ–साथ आवश्यकतानुसार अन्य (नोटीफाईड कमोडिटी)स्कंध का भी भंडारण किया जाएगा।

2.2 योजना का विस्तार :– योजना सम्पूर्ण मध्यप्रदेश एवं निजी गोदाम, निजी फर्म, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, सहकारी संस्थाए अथवा अन्य संस्थाओं आदि के गोदामों पर लागू होगी। संयुक्त भागीदारी योजना 2022–23 की प्रभावशीलता विज्ञप्ति की तिथि से प्रारंभ होकर अनुबंध अवधि अथवा स्कंध के अंतिम भण्डारण तक वैध होगी, जिसे परस्पर सहमति से आगे बढ़ाया जा सकेगा ।

2.3 व्यवसाय गारंटी :– संयुक्त भागीदारी योजना अंतर्गत लिए जाने वाले गोदामों में मध्यप्रदेश शासन द्वारा जिन जिलों में भंडारण क्षमता की कमी को दृष्टिगत रखते हुए व्यवसाय गारंटी प्रदान की जाएगी उसे तदानुसार ही शासन के आदेश में वर्णित शर्तों एवं प्रावधानों के अनुसार ''व्यवसाय गारंटी'' प्रदान की जावेगी।

वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पो. म. प्र. भोपाल अनुमोदित

03/3/22

(3) संयुक्त भागीदारी योजना हेतु पात्रता :–

3.1 निजी गोदाम, निजी फर्म, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, सहकारी संस्थाऐं अथवा अन्य संस्थाओं के गोदाम MPWLC के ऑनलाईन पोर्टल www.mpsc.mp.nic.in/Warehouse/JointVentureScheme/JointVentureSchemeApp.aspx पर अनुबंध अवधि तक पंजीकृत होना चाहिए ।

3.2 आवेदक के पास Warehousing Development and Regulatory Authority (WDRA) से अथवा आयुक्त/संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश द्वारा जारी **''वैध वेअरहाउस लायसेंस''** उपलब्ध होना चाहिए।

3.3 आवेदक द्वारा Warehousing Development and Regulatory Authority (WDRA) को अथवा आयुक्त/संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश को अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन किया गया हो तो आफर्ड के समय विवरण उपलब्ध कराना होगा, किन्तु स्कंध भण्डारण से पूर्व लायसेंस अनिवार्यतः उपलब्ध कराना होगा ।

3.4 गोदाम की रिक्त भण्डारण क्षमता एवं अनिवार्य सुविधाएं :–

3.4.1 PDS की वार्षिक आवश्यकता में शार्टफाल भण्डारण क्षमता वाले जिलों/शाखाओं/स्थानों हेतु एक परिसर की न्यूनतम भण्डारण क्षमता 500 मे.टन रहेगी, किन्तु शेष जिलों/शाखाओं/स्थानों के लिए न्यूनतम भंडारण क्षमता 1000 मे.टन रहेगी।

3.4.2 आंशिक क्षमता के गोदाम नहीं लिये जावेंगे, किन्तु ऐसे गोदाम जो पूर्व से ही MPWLC की संयुक्त भागीदारी योजना में संचालित हैं उनकी न्यूनतम रिक्त क्षमता एक पूर्ण स्टेक होने पर JVS योजना में लिया जा सकेगा ।

3.4.3 गोदाम तक पहुंचने हेतु बारहमासी रोड (All Weather Approach Road) जो न्यूनतम WBM स्तर का होना चाहिए।

3.4.4 गोदाम में वैज्ञानिक भण्डारण के दृष्टिगत वायुसंचरण हेतु रोशनदान (वेन्टीलेशन) के साथ–साथ गोदाम की ऊंचाई न्यूनतम 14 फिट होना चाहिए।

4) JVS गोदामों के अपात्रता का निर्धारण :–

4.1 निम्न आधार पर गोदाम को अपात्र घोषित किया जा सकेगा :–

4.1.1 गोदाम निर्माणाधीन होने पर ;

4.1.2 जिन गोदाम संचालकों के विरूद्ध MPWLC द्वारा स्कंध के जमा/भुगतान, स्कंध की गुणवत्ता विपरीत रूप से प्रभावित करने के कारण विवाद होकर उनके विरूद्ध कार्यवाही की गई हो ;

4.1.3 गोदाम क्षतिग्रस्त होने पर ;

4.1.4 गोदाम में शासकीय योजनाओं के अतिरिक्त अन्य स्कंध भण्डारित होने पर ;

4.1.5 गोदाम **''ब्लेक लिस्टेड''** होने पर;

4.1.6 स्कंध भण्डारण दिनांक को WDRA पंजीयन अथवा राज्य शासन का वेअरहाउस लायसेंस नहीं होने पर तथा

4.1.7 उपरोक्त वर्णित कंडिका 3 की पूर्णता न होने पर ।

म.प्र. वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पो. भोपाल अनुमोदित

03/3/22